E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 05-11-2024
Accepted: 10-12-2024
Published: 13-01-2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 1; 2025; Page No. 409-413

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अध्ययन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की वैधता के बारे में अध्ययन

[1]Anjalee Khare and [2]Dr. Ravindra Kumar Maurya

[1]Research Scholar, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India
[2]Professor, Mahakaushal University, Jabalpur, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20158485

Corresponding Author: Anjalee Khare

सारांश

प्रारंभिक शिक्षा में आने वाली मुश्किलों को दूर करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) है। RTE अधिनियम, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है, छह से चौदह साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसके प्रगतिशील लक्ष्यों के बावजूद, RTE अधिनियम को लागू करने में कई मुश्किलें हैं। वित्तीय बाधाएं, शिक्षकों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, समान पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता आम समस्याएं हैं। स्कूल चाहे शहरी इलाके में हो या ग्रामीण, सभी प्राइमरी स्कूलों को एक निश्चित शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखना होता है। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सहज महसूस कराने के लिए, उनकी अलग-अलग क्लासरूम में उनकी एक बड़ी संख्या या समूह होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में एक महत्वपूर्ण क्लॉज़ यह है कि कोई भी बच्चा जो किसी भी कारण से स्कूल छोड़ देता है, उसे उसकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में डाला जाना चाहिए।

मूल शब्दः शिक्षा, अधिनियम, अध्ययन, कमजोर और प्राथमिक।

1. प्रस्तावना

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में एक साथ दायित्व होंगे। केंद्र सरकार शैक्षणिक शक्ति की सहायता से एक सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना के लिए जिम्मेदार होगी, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मानदंड बनाएगी और उन्हें लागू करेगी, विकास, नवाचारों को बढ़ावा देने, भवन और संरचना के निर्माण की योजना बनाने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक सरकार और स्थानीय प्रशासन के कुछ सख्त दायित्व हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है जैसे, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और आवश्यक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और पूरी करने से वंचित न रखा जाए और उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई शुल्क या फीस लिए बिना प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुविधाजनक अनुमोदित शैक्षिक योजना और पाठ्यक्रम सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उचित सुझाव और सिफारिश करने और अधिनियम की धारा 8 के तहत बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सशक्त हैं। शिक्षा का प्रारंभिक स्तर सभी स्तरों की शिक्षा का आधार है। प्रारंभिक स्तर 6-14 वर्ष की आयु वर्ग को कवर करता है। प्रारंभिक शिक्षा दो चरणों में विभाजित है – निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक में कक्षा I से V तक और उच्च प्राथमिक में कक्षा VI से VIII तक शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्र के विकास और साक्षरता में बदलाव, राष्ट्र निर्माण और मानव संसाधन के विकास को सुनिश्चित करने का मुख्य साधन है। स्वतंत्रता के बाद से सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा बनाना भारत सरकार के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है। यद्यपि प्रारंभिक शिक्षा के विकास के संबंध में विभिन्न योजनाएँ, नीतियाँ और आयोग गठित किए गए थे, फिर भी नामांकन, बुनियादी ढाँचा, मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा के अधिकार से संबंधित बड़ी संख्या में समस्याएँ मौजूद हैं।

भारत में अनिवार्य शिक्षा का पहला सफल प्रयोग करने का श्रेय

बड़ौदा के राजा महाराज सियाजी राव गायकवाड़ को जाता है। 1892 में, उन्होंने घोषणा की कि अमरेली शहर के एक तालुका में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होगी। गोपाल कृष्ण गोखले विधेयक (1911), हार्टोग समिति (1929), एम.के. गांधी की बुनियादी शिक्षा (1937), सार्जेंट रिपोर्ट (1944) ने देशव्यापी स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। संविधान के 93वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सार्वभौमिक बनाने के लिए 2001 में सर्वशिक्षा अभियान (SSA) शुरू किया है। SSA भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मिशन मोड में पूरे देश को कवर करते हुए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (UEE) प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान के बाद, "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" जिसे 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया तथा जुलाई, 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। अधिनियम के प्रावधान भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए।

2. साहित्य समीक्षा

कपूर, राधिका. (2018) [1]। प्रारंभिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह आधार स्थापित करती है जिस पर व्यक्ति सीखता है। ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है, जिनमें समाज के वंचित, हाशिए पर पड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत पर जोर दिया गया है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को समझना है। 1950 में, संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 में संकल्प लिया था कि राज्य संविधान के लागू होने से दस साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तब से, हर पंचवर्षीय योजना, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई दस्तावेजों ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) में भारत के प्रयासों को परिष्कृत करने का प्रयास किया है।

कसाबवाला, देवांशी और राजय्यान, रिया। (2021) [2]। शिक्षा किसी के जीवन में सबसे बड़ी सीढ़ी है जो किसी व्यक्ति को बौद्धिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है ताकि वह जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपट सके। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को अर्थ और मूल्य देना है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली में समस्याओं को उजागर करना है और इसमें शामिल मुख्य पहलू डिजिटल साक्षरता, निजीकरण, मानसिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा हैं। हमने अपने प्राथमिक शोध (सर्वेक्षण) से डेटा का उपयोग यह जानने के लिए किया है कि समाज में लोग इन चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश लोगों का मानना है कि हमारी प्रणाली में खामियाँ हैं और इसमें बदलाव की बहुत गुंजाइश है। हालाँकि, सुधार की गुंजाइश पर प्रकाश नहीं डाला गया है क्योंकि पहचानी गई समस्याएँ स्वयं ही इस बात का उत्तर हैं कि हमारी प्रणाली की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। परिचय:

कुमार, अतुल और बराड़, विनयदीप और चौधरी, चेतन और रायबागकर, शिरीष। (2022) [3]। भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू किया। निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों को अपने नामांकन स्लॉट का 25% ऐसे छात्रों के लिए आरक्षित करना आवश्यक है, सरकार उनकी फीस वहन करती है। जबकि छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है, आरटीई छात्रों की स्कूली शिक्षा में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। हमने 400 आरटीई छात्रों के अभिभावकों का सर्वेक्षण किया और पांच निजी स्कूल के प्रधानाचार्यों का साक्षात्कार लिया। निष्कर्षों से पता चला कि निजी स्कूल आरटीई छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, जो विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं। निजी स्कूलों का तर्क है कि पिछले कई वर्षों से सरकार ने इन छात्रों की फीस का भुगतान नहीं किया है। शिक्षा के सामाजिक इक्विटी सिद्धांत के आधार पर, हम सुझाव देते हैं कि वंचित छात्रों की फीस उच्च और मध्यम वर्ग के अधिकांश छात्रों से ली जानी चाहिए।

कुमार, अभय और शुक्ला, सुधीर और पनमेई, मैरी और नारायण, वीर। (2019) [4]। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह लेख RTE अधिनियम के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख घटकों की जांच करता है जैसे कि वर्तमान उपस्थिति दर, संस्थानों के प्रकार, शिक्षा का माध्यम, पड़ोस के स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा पर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCEE) और RTE से पहले और बाद की अवधि के दौरान प्रोत्साहन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 64वें (2007-2008) और 71वें (2014) दौर के इकाई स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए। परिणाम दर्शाता है कि सार्वभौमिकरण से दूर, बहिष्कार लिंग, क्षेत्र और सामाजिक-धार्मिक और आर्थिक समूहों में व्याप्त होता जा रहा है। महिला बच्चे, वंचित सामाजिक-धार्मिक समूहों, ग्रामीण क्षेत्रों और निचले MPCE पंचमांश से बच्चे न केवल RTE से पहले की अवधि के दौरान अध्ययन किए गए अधिकांश मापदंडों में कम प्रदर्शन करते हैं, बल्कि RTE के बाद की अवधि के दौरान उनके समकक्षों से अंतर बहुत अधिक बढ़ गया है। निःशुल्क शिक्षा में कमी आई है और प्रारंभिक शिक्षा पर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है। बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर निजी स्कूलों में जा रहे हैं। इस अध्ययन से आरटीई के तहत अपने दायित्व को पूरा करने की सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठते हैं।

कुमारी, सुधा एवं अल्लम, मो. (2019) [5]। 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र के तेज और संतुलित विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनेस्को, यूएनओ, विश्व बैंक आदि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर दुनिया के देशों को अपने नागरिकों को विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को महत्व देने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। देश में पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने के लिए संवैधानिक दायित्व और राष्ट्र के नेताओं की प्रतिज्ञा आरटीई, अधिनियम को लागू करने का एक और कारण है जो राष्ट्र में पूर्ण साक्षरता दर सुनिश्चित करता है। वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बेहतर रणनीति राष्ट्र की प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है जो राष्ट्र की उच्च शिक्षा को गति देगा। किसी भी देश की उच्च शिक्षा मानव शक्ति, आर्थिक नियोजन, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण

है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ऐतिहासिक अधिनियम "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" पारित किया, जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा का अधिकार (टीआरई) अधिनियम, 2009 के रूप में जाना जाता है।

3. शिक्षा के अधिकार की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं।

- **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा**

सरकार को हर बच्चे को कक्षा 8 तक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करानी है। बच्चे को न केवल स्कूल फीस के मामले में निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, बल्कि अन्य आवश्यक चीजें जैसे कि यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी आइटम और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी निःशुल्क मिलेंगी ताकि शिक्षा पूरी करने में कोई बाधा न आए।

- **न्यूनतम मानक**

भारत के किसी भी प्राथमिक विद्यालय को शिक्षक-छात्र अनुपात, पेयजल की उपलब्धता, उचित कक्षाएं, शिक्षकों की उचित उपस्थिति, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, स्कूल खुलने के दिनों की संख्या आदि के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों को बनाए रखना होगा।

- **विशेष मामले**

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के अनुसार, किसी भी कारण से स्कूल छोड़ने वाले किसी भी छात्र को उसकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त कक्षा में दाखिला दिलाया जाना चाहिए। साथ ही, बच्चे पर इतना ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह अपनी कमियों को स्वीकार कर सके और उसी कक्षा के अन्य छात्रों के बराबर आ सके।

4. शिक्षक

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखना होता है, चाहे वह विद्यालय शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में। विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के पास उचित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जो ऐसे विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक है। उचित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की तैनाती गंभीरता से की जाती है।

5. सर्वांगीण विकास

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य देश के बच्चों में साक्षरता फैलाना ही नहीं है। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना भी है। इस अधिनियम के तहत जिम्मेदारी है कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जो बच्चों के ज्ञान, प्रतिभा और मानवीय क्षमता के निर्माण में सहायक हो। साथ ही, इसका लक्ष्य देश के भविष्य के लिए महान मानवों का निर्माण करना है।

हिरासत को न्यूनतम करें

शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों को कम से कम रोका जाए। इसी के मद्देनजर, छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की गई है। यह प्रणाली बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है और शिक्षक उनके प्रदर्शन और ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए कमजोर बिंदुओं पर काम करते हैं।

अनुपालन की निगरानी: शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी स्कूलों को एक स्कूल प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता है जिसमें प्रधानाध्यापक, अभिभावक, समुदाय के सदस्य, स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि और कई अन्य लोग शामिल होंगे। समिति की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि स्कूल सही तरीके से काम कर रहा है और भविष्य में स्कूल के विकास की योजना बनाना भी है।

न्यायोचित

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा का अधिकार न्यायोचित है। एक उचित शिकायत निवारण प्रणाली है, जहाँ लोग उल्लेख कर सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के किसी भी नियम या जिम्मेदारी का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा है। स्कूल सार्वजनिक संपत्ति हैं और इसलिए स्कूल को अपने नियमों में किसी भी बदलाव की घोषणा सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए।

सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों में से एक है बिना किसी भेदभाव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अधिनियम सभी निजी स्कूलों के लिए पिछड़े या आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है। इस तरह के कदम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है और विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित छात्रों के बीच की सीमा भी टूट जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की वैधता

आरटीई की धारा 12 प्रमुख प्रावधानों में से एक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करता है।

इस संदर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक, 2008 के साथ संलग्न उद्देश्यों एवं कारणों के कथन (एसओआर) का संदर्भ लेना महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है:

"बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2008 इस विश्वास पर आधारित है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों तथा न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण को सभी को समावेशी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केवल उपयुक्त सरकारों द्वारा संचालित या समर्थित स्कूलों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन स्कूलों की भी जिम्मेदारी है जो सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं।"

यह विचार कि स्कूली शिक्षा को सामाजिक सामंजस्य और समावेश के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए, नया नहीं है; इसे अक्सर दोहराया जाता रहा है। असमान और असमान स्कूली शिक्षा मौजूदा सामाजिक और आर्थिक पदानुक्रम को मजबूत करती है, और समाज के शिक्षित वर्गों में गरीबों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता को बढ़ावा देती है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी स्कूलों में घर जैसा महसूस कराने के लिए यह ज़रूरी है कि वे जिस कक्षा में जाते हैं, उसमें उनका अनुपात या महत्वपूर्ण समूह हो। जिस प्रासंगिक ब्रह्मांड में अनुपात पर विचार करने की ज़रूरत है, वह कक्षा/सेक्शन है। यही कारण है कि आरटीई अधिनियम में वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के 25% बच्चों को केवल कक्षा । में प्रवेश देने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि इन बच्चों को एक अलग सेक्शन या दोपहर की पाली में एक साथ नहीं रखा जा सकता। कोई भी व्यवस्था जो इन बच्चों को अलग करती है या फीस देने वाले बच्चों के साथ अलग व्यवहार करती है, वह प्रतिकूल परिणाम देगी।

25% का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि जनगणना में दर्शाई गई जाति/वर्ग की संरचना इस प्रावधान के तहत प्रवेश चाहने वाले बच्चों की संरचना का काफी हद तक प्रतिनिधित्व करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी 16.2% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.2% (कुल 24.4%) है। इसके अलावा, गरीबी को मापने के लिए योजना आयोग द्वारा

गठित तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आबादी का अनुमान 37.2% लगाया है। यह एक तथ्य है कि आर्थिक अभाव से पीड़ित अधिकांश आबादी सामाजिक रूप से वंचित भी है। इस प्रकार, एक साथ लिया जाए तो वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के प्रवेश के लिए 25% का आंकड़ा उचित माना जाता है। कोई भी कम अनुपात नीति के दीर्घकालिक लक्ष्य को खतरे में डाल देगा जो सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना और हमारे समाज में निहित सर्वोत्तम मानव संसाधन क्षमता को सामने लाना है। एक छोटा सा हिस्सा केवल एक सांकेतिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, और इससे वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के बच्चों में अलगाव की भावना पैदा होने का गंभीर जोखिम होगा। कक्षा में उनकी सहभागिता न तो मज़बूत होगी और न ही किसी भी विषय क्षेत्र में हो रहे समग्र अनुभवात्मक अधिगम को समृद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रकट होगी। केवल एक महत्वपूर्ण समूह ही ऐसी भूमिका निभा सकता है।

अन्य लोगों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ए) निजी प्रबंधनों के बिना सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थान चलाने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। पार्टियों ने दावा किया कि सरकारी और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है। 12 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि इस तरह का आरक्षण देना असंवैधानिक नहीं है, लेकिन कहा कि यह कानून गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूलों और बोर्डिंग स्कूलों पर लागू नहीं होगा।

5. निष्कर्ष

यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि किसी देश का शिक्षा में निवेश उसकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों की आम भलाई को बढ़ाता है। 2010 में राष्ट्रीय आदेश के दो साल बाद, नागालैंड ने 2012 में "शिक्षा का अधिकार" अधिनियम लागू किया। स्कूलों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में हुई देरी का असर इस पर पड़ सकता था। फिर भी, पॉलिसी लागू होने के दस साल बाद भी सरकारी स्कूलों को डेस्क, कुर्सियाँ, किताबें, टॉयलेट और साफ़ पीने के पानी जैसी ज़्यादा बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है। इस स्टडी के नतीजे इस क्षेत्र में ज़्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हैं। सरकारी स्कूलों द्वारा स्कूल फीस लेने के अलावा, टीचरों का देर से आना एक आम समस्या है। क्लास/सेक्शन ही वह सही जगह है जहाँ अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी वजह से, RTE एक्ट सिर्फ़ क्लास । में ही कमज़ोर तबके और पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 25% कोटा ज़रूरी करता है। RTE एक्ट के अच्छे लक्ष्यों के बावजूद, इसके लागू होने में कई दिक्कतें हैं। पैसे की कमी, टीचरों की कमी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, असमान पहुँच और शिक्षा की खराब क्वालिटी आम समस्याएँ हैं।

6. संदर्भ

1. कपूर र. भारत में प्रारंभिक शिक्षा; 2018।
2. कसाबवाला द, राजय्यान र. भारतीय शिक्षा प्रणाली: एक त्रुटिपूर्ण वास्तविकता? 2021।
3. कुमार अ, बरार व, चौधरी च, रायबागकर श. वंचितों के लिए विशेष कोटा के तहत निजी स्कूल के छात्रों के खिलाफ भेदभाव: भारत में एक मामला. Asia Pacific Education Review. 2022;26(3). DOI: 10.1007/s12564-022-09815-z।
4. कुमार अ, शुक्ला स, पनमेई म, नारायण व. शिक्षा का अधिकार अधिनियम: सार्वभौमिकरण या जड़ जमाए हुए बहिष्कार? 2019;5:89-111. DOI: 10.1177/2394481119849272।
5. कुमारी स, अल्लाम म. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच जागरूकता. European Academic Research. 2019;2:983-995।
6. हेमैन ज, राउब ए, कैसोला ए. शिक्षा के संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रीय नीति और स्कूल नामांकन से उनका संबंध. International Journal of Educational Development; 2014, 39. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2014.08.005।
7. वसीक म र. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाल शिक्षा का अधिकार: भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक विशेष संदर्भ; 2023, 4. DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.20154188.V1।
8. साहा प. भारत में समावेशी शिक्षा और शैक्षिक नीतियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष जोर देते हुए: एक अध्ययन. IAR Journal of Humanities and Social Science. 2022;3:95-99. DOI: 10.47310/iarjhss.2022.v03i02.014।
9. स्मिथ म, अकुवे ओ, माराज़ो ज, विलियम्स ल, फिशॉन ए, डाउनर-रीड अ, मुहम्मद ज, मुहम्मद ल. समावेशी शिक्षा नीतियों का मूल्यांकन: विकलांग छात्रों की सहायता करने पर एक मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य; 2025, 6-022. DOI: 10.5281/zenodo.14971500।
10. विश्वजीत, शर्मा न. ग्रामीण भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की भूमिका: एक क्षेत्रीय विश्लेषण. Shodhkosh: Journal of Visual and Performing Arts; 2023, 4. DOI: 10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.3816।
11. कुमार अ, शुक्ला स, पनमेई म, नारायण व. शिक्षा का अधिकार अधिनियम: सार्वभौमिकरण या जड़ जमाए हुए बहिष्कार? 2019;5:89-111. DOI: 10.1177/2394481119849272।
12. रामचंद्रन व. शिक्षा का अधिकार अधिनियम: एक टिप्पणी. Economic and Political Weekly; 2009, 44. DOI: 10.2307/40279266।
13. बिस्वास स. भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई अधिनियम-2009): एक आलोचनात्मक विश्लेषण; 2022।
14. अरोड़ा अ. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण, नो डिटेंशन पॉलिसी पर विशेष ध्यान देते हुए; 2021।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.